न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 91/2017 जीसीएमएस नम्बर 2017/00223

1. सुखला उर्फ रामेश्वर पुत्र स्व. श्री गोमाराम
2. शीशपाल पुत्र स्व. श्री गोमाराम
3. जगदीश पुत्र स्व. श्री गोमाराम
4. मु० पारा देवी बेवा स्व. श्री गोमाराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पट्टी–सीतारामपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. पप्पूलाल पुत्र स्व. श्री बलदेव, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम पट्टी सीतारामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेण्ट

2. सुल्तान पुत्र गोमाराम, जाति जाट निवासी ग्राम पट्टी– सीतारामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायणजी जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–प्रारूपिक रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश भू–अभिलेख अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर (मु0 जयपुर) दिनांक 31–8–2016 (प्रकरण संख्या 46/2016 उनवानी पप्पूलाल बनाम सरकार)

उपस्थित–

1. श्री रघुवीर सिंह राठौड वकील अपीलान्ट
2. श्री प्रभूसिंह राजावतरेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट नं. 2 स्वयं उपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 व 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –16.05.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 31.08.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश कर ग्राम पट्टी

सीतारामपुरा तहसील आमेरके आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 1.58 है0, खसरा नं. 6/203 रकबा 0.15 है0 का सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 31.08.2016 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुरदिनांक 31.08.2016 के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी सुखला उर्फ रामेश्वर पुत्र स्व. श्री गोमाराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश 31.08.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया किभूमि खसरा नम्बर 9 व 6/203 के पश्चिम की ओर लगती हुई अपीलार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि साबिका खसरा नम्बर 1 जिनके हाल खसरा नम्बर 1, 2 व 3 तथा 5 लगायत 8 बने हैं, स्थित है। अपीलार्थीगण को प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना तथा पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया हैरेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित यह तथ्य कि खसरा नम्बर 9 का सीमाज्ञान दिनांक 5–6–2015 को तथा खसरा नम्बर 6/203 का सीमाज्ञान दिनांक 8–6–2016 को किया जा चुका है, पूर्णतः गलत व आधारहीन है। अपीलार्थीगण को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना यदि तहसीलदार आमेर की पालना में किसी अन्य अधिकारी ने यदि सीमाज्ञान की कोई कार्यवाही की भी हो तो उससे अपीलार्थीगण के अधिकार विपरीत प्रभावित नहीं होते परन्तु फिर भी उक्त सीमाज्ञान की कार्यवाही के आधार मात्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्थरगढ़ी किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया हैरेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में यह अंकित किया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि के पड़ौस में मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायणजी की खातेदारी की भूमि है और इसलिये वे मन्दिर को जरिये तहसीलदार आमेर को पक्षकार मुकदमा बना रहे हैं, जो न्यायालय को मात्र भ्रमित करने की कार्यवाही है। भूमि खसरा नम्बर 9 व 6/203 के पश्चिम की ओर स्थित भूमि कभी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायणजी की खातेदारी की भूमि नहीं रही और ना ही मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायणजी को जरिये तहसीलदार आमेर पक्षकार बनाया जा सकता हैउपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 9 व 6/203 तथा अन्य के संबंध में रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने दिनांक 4–5–2000 को एक दावा अपीलार्थीगण को पक्षकार प्रतिवादी बनाते हुये प्रस्तुत किया जिसमें उसने अवैध रूप से दिनांक 28–2–2005 को इकतरफा स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर ली जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील नियमानुसार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दी है परन्तु उक्त वाद से यह संदेह से बाहर स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण के अधिकार निहित होने की रेस्पोंडेंट संख्या 1 को पूर्ण जानकारी थी परन्तु वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने पहले सीमाज्ञान तथा उसके पश्चात् पत्थरगढी कराने का अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।बंदोबस्त विभाग के अधिकारियों ने जो नक्शा हाल बंदोवस्त का अपीलार्थीगण बनाया है वह पूर्णतः गलत व आधारहीन है । रेस्पोंडेंट संख्या 1, की खातेदारी की भूमि की सीमाओं के अन्दर प्रवेश कर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि से वंचित कर देने पर आमादा है इस षड्यंत्र पूर्वक कार्यवाही के अन्तर्गत ही रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया और अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना इकतरफा अपीलाधीन निर्णय प्राप्त किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर गौर किये एवं तहसीलदार की गलत सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर दिनांक 31.08.2016 निरस्त किया जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत् प्रार्थना पत्र 111 व 128 एल.आर. एक्ट के प्रस्तुत कर मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2015 एवं 08.06.2016 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया। चूंकि प्रार्थीउक्त विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में आये–दिन विवाद उत्पन्न करते रहते है तो प्रार्थी ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से सीमाज्ञान करवाया गया जब अप्रार्थीगण सीमाज्ञान को अनदेखा करने लगे अप्रार्थीगण नही चाहते है कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सके जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते हुए प्रार्थीगण की आराजीयात के कब्जेकाश्त में आये दिन मजाहमत करते रहते है क्योंकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नहीं हो रखी है। तहसीलदार फागी के सीमाज्ञान के अनुसार यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा।अतः प्रार्थी द्वारा विधिवत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत खसरा नं. 06 व 08 की खातेदारी मंदिर मूर्ति लक्ष्मीनारायण जी की होने से तहसीलदार आमेर को प्रतिनिधि के रूप में रहने के आदेश दिये गये । अप्रार्थीगण पडौसी खातेदार नहीं हैं जिससे उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हो। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिअनुरूप है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में अपीलांट को नकल दिनांक 01.05.2017 को प्राप्त होने के कारण अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।प्रभावित पक्षकार होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी पप्पूलाल पुत्र बलदेवदास द्वारा ग्राम पट्टी सीतारामपुरा तहसील आमेरमें स्थित अपनी खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 1.58 है0, खसरा नं. 6/203 रकबा 0.15 है0 की पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन अंतर्गत धारा 128 में किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.08.2016 के द्वारा विवादित आराजी खसरा नं. 9का सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2015 एवं 6/203 का सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2016 के अनुसार नियमानुसार पक्षकारों को पत्थरगढी करने से पूर्व एक सप्ताह पूर्व लिखित में सूचित कर पत्थरगढी करने के आदेश दिए गए। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह विधिक प्रावधानों के तहत अपनी कृषि भूमि की पैमाइश एवं पत्थरगढी करा सकता है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत् निर्धारित प्रक्रिया का पालन

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

करते हुए पत्थरगढी कराने का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी के आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि पत्थरगढी से किसी भी पक्ष को आपत्ति हो तो पत्थरगढी करने की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होती है। उक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 31.08.2016 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर